अनुमण्डल दण्डाधिकारी का न्यायालय, खोरीमहुआ

(दं0 प्र0 सं0 144 के तहत वाद सं0–159/2022)

शहाबुद्दीन अंसारी —बनाम्— मो0 शमीम अंसारी वगैरह

आदेश

02.08.22 थाना प्रभारी, हिरोडीह के प्रतिवेदन के आलोक में जारी कार्यवाही से संबंधित पक्षकारों को सूचित कर सुना गया।

प्रथम पक्ष की ओर से वादग्रस्त भूमि को सार्वजनिक बताकर उसपर ईमामबाड़ा तथा ताजिया स्थित रहने का तथ्य प्रस्तुत किया गया तथा द्वितीय पक्ष द्वारा भूमि को जबरन हड़पने का उल्लेख का कार्यवाही को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 के तहत परिवर्तित करने का अनुरोध किया गया।

द्वितीय पक्ष की ओर से वादग्रस्त भूमि को गैरआवाद खास खाता का रहने तथा भूतपूर्व जमींदार से अपने पूर्वज द्वारा प्राप्त कर 1952–53 तक के लगान का भुगतान किये जाने एवं Title Suit No.–33/1953 का डिक्री अपने पक्ष में प्राप्त रहने का तथ्य प्रस्तुत कर पुराने जर्जर आवासीय मकान को तोड़कर नये मकान का निर्माण कराये जाने तथा भूमि के अन्य हिस्से में इमामबाड़ा आंगनबाड़ी, मदरसा तथा जमडीहा उच्च विद्यालय के स्थित रहने का उल्लेख किया गया तथा प्रथम पक्ष द्वारा भूमि से जबरन बेदखल करने को प्रयासरत रहने की बात कही गयी एंव जारी निषेधाज्ञा को स्वयं से रिक्त कर इसे प्रथम पक्ष के विरूद्ध निरपेक्ष करने का अनुरोध किया गया।

पक्षकारों को सुनने तथा कागजात एवं प्रतिवेदन के अवलोकन से गैरआवाद खाता की भूमि को लेकर पक्षकारों के बीच विवाद रहना स्पष्ट है एवं पक्षकारों के विवाद का निदान वस्तुतः अतिक्रमण वाद के निर्णय से संबंधित है तद्नुसार वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

अंचल अधिकारी, जमुआ को नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु आदेश की प्रति भेजें।

02/08/22
अनुमण्डल दण्डाधिकारी
खोरीमहुआ

लेखापित एवं संशोधित
02/08/22
अनुमण्डल दण्डाधिकारी
खोरीमहुआ

Digitally signed by DHIRENDRA KUMAR SINGH
Date: 2023.06.13 20:59:05 +05:30
Location: 192.168

Scanned with CamScanner